राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

सत्यमेव जयते

आषाढ़ 30, बुधवार, शाके 1932–जुलाई 21, 2010
Asadha 30, Wednesday, Saka 1932–July 21, 2010

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 21, 2010

संख्या प. 8 (1)/पर्या/99/पार्ट:–यतः प्लास्टिक अल्पकालिक और दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान और स्वास्थ्य परिसंकट कारित करते हैं;

और यतः भारत के संविधान का अनुच्छेद 48–क अन्य बातों के साथ परिकल्पित करता है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए प्रयास करेगा;

और यतः राज्य सरकार की राय है कि प्लास्टिक बैग का उपयोग गंभीर क्षति कारित करता है और पर्यावरण और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

और यतः यह देखा गया है कि प्लास्टिक कैरी बैग गटर, मलनालियों और नालियों को भी निरूद्ध करते हैं, परिणामस्वरूप गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं;

और यतः ऐसी समस्या के होने को रोकने की दृष्टि से सरकार ने राजस्थान राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र को "प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त क्षेत्र" के रूप में घोषित करने का विनिश्चय किया है;

और यतः भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग) द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 29) की धारा 23 के अधीन जारी उसकी अधिसूचना सं. एस.ओ. 152(ई), दिनांक 10–02–1988 द्वारा राज्य सरकार को प्रत्यायोजित उक्त अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए अधिसूचना का प्रारूप राज–पत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर उससे सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचनार्थ और आक्षेप/सुझाव आमंत्रित करते हुए सं. एफ 8(1) पर्या/99 पार्ट दिनांक 14–05–10 द्वारा राजस्थान के राज–पत्र विशेषांक में प्रकाशित किया गया था;

और यतः ऊपर वर्णित अधिसूचना के प्रारूप के जवाब में उक्त कालावधि के भीतर प्राप्त समस्त आक्षेपों और सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है।

अतः अब भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 23 के अधीन जारी उसकी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 152(ई), दिनांक 10–02–1988 द्वारा राज्य सरकार को प्रत्यायोजित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में इसके द्वारा निदेश देती है कि:–

> कोई व्यक्ति जिसमें कोई दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी लगाने वाला या रेडी वाला सम्मिलित है, माल के प्रदाय के लिए प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करेगा और यह और निदेश देती है कि कोई व्यक्ति 1 अगस्त, 2010 से राजस्थान राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय या परिवहन नहीं करेगा।

स्पष्टीकरणः–इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए प्लास्टिक कैरी बैग का वही अर्थ होगा जो प्लास्टिक विनिर्माण, विक्रय और उपयोग नियम, 1999 में परिभाषित है। खाद्य सामग्री, दूध और नर्सरी में के उन्नत पौधों की पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त आधान कैरी बैग नहीं है।

राज्य सरकार इसके द्वारा यह और निदेश देती है कि निम्नलिखित अधिकारी इन निदेशों को क्रियान्वित करेंगे और अधिसूचना संख्या 394(ई) दिनांक 16-04-87 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय (प.व.मं.) द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करेंगे :-

1. जिला कलक्टर।
2. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी।

राज्यपाल के आदेश से,
वी.एस. सिंह,
प्रमुख शासन सचिव, पर्यावरण

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

NOTIFICATION

Jaipur, July 21, 2010

No.F.8(1)Env/99-Pt.–Whereas, plastics cause short term and long term environmental damage and health hazard;

And whereas, Article 48-A of the Constitution of India, inter alia, envisages that the State shall endeavour to protect and improve the environment;

And whereas, the Government of Rajasthan is of the opinion that, the use of plastic carry bags is causing grave injury and is detrimental to the environment and animal health;

And whereas, it is observed that the plastic carry bags are also causing blockage of gutters, sewers and drains, resulting in serious environmental problems;

And whereas, with a view to prevent the occurrence of such problem the Government has decided to declare the entire area of the State of Rajasthan as "the Plastic Carry Bag Free Area";

And whereas, a draft notification, in exercise of powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act No. 29 of 1986,) delegated to the State Government by the Government of India, Ministry of Environment & Forests (Department of Environment, Forests and Wildlife), by it's Notification No.S.O.152 (E) dated 10-2-1988, issued under section 23 of the said Act, read with rule 4 of the Environment (Protection) Rules, 1986, was published in the extra-ordinary gazette of Rajasthan vide No. F.8(1)Env/99-Pt dated 14-5-10 for information of all persons likely to be affected thereby and inviting objections/suggestions within a period of 30 days from the date of publication of this Notification in the Official Gazette;

And whereas, all the objections or suggestions received within the said period in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the State Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act No. 29 of 1986,) delegated to the State Government of Rajasthan by the Government of India, Ministry of Environment & Forests (Department of Environment, Forests and Wildlife), by it's Notification No. S.O.152 (E) dated 10-2-1988, issued under section 23 of the said Act, the State Government hereby, directs that-

No person including a shopkeeper, vendor, wholesaler or retailer, trader, hawker or rehriwala etc., shall use plastic carry bags for supply of goods, and further directs that no person shall manufacture, store, import, sell or transport plastic carry bags in State of Rajasthan with effect from 1st August, 2010.

Explanation: For the purpose of this Notification the carry bags shall have the same meaning as defined in The Plastics Manufacture, Sale and Usage Rules, 1999. The containers used for packaging food material, milk and raising plants in the nurseries are not carry bags.

The State Government hereby further directs that the following Officers shall implement these directions and file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 using the power delegated to them by Government of India, Ministry of Environment & Forests (MoEF), vide Notification No. S.O. 394(E) dated 16-4-87.

1. District Collectors.
2. Regional Officers of the Rajasthan State Pollution Control Board.

By Order of Governor
वी.एस. सिंह,
Principal Secretary,
Environment.

Government Central Press, Jaipur.